रेलवे भर्ती कक्ष,
उत्तर पश्चिम रेलवे,
जयपुर।

सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (जीडीसीई)

जीडीसीई अधिसूचना संख्या 03/2017

(पात्रता की शर्ते पूरी करने वाले उत्तर पश्चिम रेलवे में कार्यरत सभी नियमित ग्रुप 'सी' और पूर्व ग्रुप डी कर्मचारी (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मचारियों को छोडकर) आवेदन कर सकते है)

ऑन लाईन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि एवं समय	ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम की तिथि एवं समय
13.09.2017 को 9.00 बजे से	12.10.2017 को 17.00 बजे तक

रेलवे बोर्ड के के दिनांक 20.08.1993 पत्र संख्या ई (एनजी) 1–92/पीएम 2/16 (आरबीई सं. 129/1993) के अन्तर्गत जारी अनुदेशों एवं समय समय पर जारी किए गए अन्य अनुदेशों के अनुसार सामान्य विभागिय प्रतियोगी परीक्षा कोटा के विरूद्व रिक्तियों को भरने के लिए आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मचारियों को छोडकर उत्तर पश्चिम रेलवे के सेवारत नियमित रेलवे कर्मचारियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। भरी जाने वाली रिक्तियों का समुदाय वार ब्यौरा, चिकित्सा कोटि एवं आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नीचे दर्शायी गई है:–

रिक्तियॉं, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता तथा चिकित्या स्वस्थता मापदण्ड:–

Cat. No.	Name the post	PB &GP (Level)	No. of vacancies					Medical standard	Minimum educational qualification
			UR	SC	ST	OBC	Total		
1	Clerk Cum Typist	G.Pay 1900/- (Level-2)	06	02	00	03	11	C-One	12th (+2stage) or its equivalent examination with not less than 50% marks in the aggregate. 50% marks is not to be insisted upon in case of SC/ST. Candidates who have possess higher qualification can apply irrespective of marks obtained by them in 12th typing speed 30w.p.m. in English and 25 w.p.m in Hindi.
2	Asstt. Loco Pilot	G.Pay 1900/- (Level-2)	80	24	12	43	159	A-One	Matriculation pass plus (A) ITI certificate/ Act Apprenticeship passed in trade (i) Fitter (ii) Electrician (iii) Instrument Mechanic (iv) Millwright/Maintenance Mechanic (v) Mechanic (Radio & TV) (vi) Electronics Mechanic (vii) Mechanic (Motor Vehicle) (viii) Wireman (ix) Tractor Mechanic (x) Armature & coil Winder (xi) Mechanic (Diesel) (xii) Heat Engine (xiii) Turner (xiv) Machinist (xv) Refrigeration & AC Mechanic OR (B) Diploma in Mechanical/Electrical/Electronics/ Automobiles Engineering in lieu of ITI.
3	Tech. Gr. III (Signal)	G.Pay 1900/- (Level-2)	07	02	01	03	13	B-One	(i) Matriculation plus ITI/Act. Apprenticeship in Electrician, Electrical Fitter, Wireman, Electronics, Information Technology, TV & Radio, Instrumentation, Computer, Computer Networking, Data Networking; Or (ii) 10 +2 with Physics and Maths; Or (iii) 03 (Three) year Diploma in Engineering in Electrical, Electronics, Microprocessor, TV Engineering, Fibre Optical Communication, Telecommunication, Communication, Sound & TV Engineering, Industrial Control, Electronic Instrumentation, Industrial Electronics, Applied Electronics, Digital Electronics, Power Electronics, Information Science/Technology, Computer Application, Computer Engineering, Computer Science and Computer Technology.

Cat. No.	Name the post	PB &GP (inRs.)	No. of vacancies					Medical standard	Minimum educational qualification
			UR	SC	ST	OBC	Total		
4	Ticket Examiner	G.Pay 2000/- (Level-3)	05	02	00	03	10	B-Two	12th (+2stage) or its equivalent examination with not less than 50% marks in the aggregate. 50% marks is not to be insisted upon in case of SC/ST. Candidates who have possess higher qualification can apply irrespective of marks obtained by them in 12th
5	Commercial Clerk	G.Pay 2000/- (Level-3)	02	00	00	00	02	C-One	12th (+2stage) or its equivalent examination with not less than 50% marks in the aggregate. 50% marks is not to be insisted upon in case of SC/ST. Candidates who have possess higher qualification can apply irrespective of marks obtained by them in 12th
6	Stenographer (Hindi)	G.Pay 2400/- (Level-4)	00	00	00	01	01	C-One	12th (+2stage) or equivalent examination from a recognized Board/ University and for the skill test prescribed dictation speed of 80 W.P.M. duration time 10 minutes and transcription time is 50 minutes (English) and 65 minutes (Hindi) on computer
7	Pharmacist, Gr.III (Medical)	G.Pay 2800/- (Level-5)	01	00	00	00	01	C-Two	10+2 in Science or its equivalent with 02 (two) years Diploma in Pharmacy and registration with Pharmacy Council of India or Registration with state Pharmacy Council
8	Goods Guard	G. Pay 2800/- (Level-5)	27	06	03	11	47	A-Two	A university degree or its equivalent.
9	Station Master	G.Pay 4200/- (Level-6)	29	08	04	16	57	A-Two	A university degree or its equivalent. Diploma in Rail Transport and management from the institute of Rail Transport will be an additional desirable qualification.
10	Junior Engineer (Signal)	G.Pay 4200/- (Level-6)	02	00	00	00	02	A-Three	Three years Diploma in (a) Electrical/Electronics/Information Technology/Communication Engineering OR (b) a combination of any sub stream of basic streams of Electrical/Electronics/ Information Technology/Communication Engineering from a recognized university/ institute.
11	Junior Engineer (P .Way)	G.Pay 4200/- (Level-6)	02	00	00	01	03	A-Three	(a)Three years Diploma in Civil Engineering or B.Sc in Civil Engineering of three years duration or (b) a combination of any sub stream of basic streams of Civil Engineering from a recognized University/Institute.
12	Staff Nurse	G.Pay 4600/- (Level-7)	01	00	00	00	01	C-One	Certificate as Registered Nurse & Midwife having passed 03 years course in General Nursing and Midwifery form a school of Nursing or other Institution recognized by the Indian Nursing Council Or B.Sc(Nursing) Note: The Indian Nursing Council has also laid down certain special concessions for the above courses in respect of Auxillary nurse-midwives. Midwives and 'B' grade nurses, by way of reduced course period etc. Candidates obtaining the qualification prescribed above, under these concessions will be eligible for recruitment.

नोटः– भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांग अभ्यर्थियों के लिए कोई रिक्तियां आरक्षित नहीं है।

(1) <u>पात्रता मापदण्डः</u>– न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः प्रत्येक पद के समक्ष दर्शाई गई है।

(2) **आयु सीमाः** अधिकतम आयु सीमा सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 42 वर्ष, अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 47 वर्ष होगी। आयु की गणना दिनांक 01.01.2018 को आधार मानकर की जाएगी।

(3) **परीक्षा शुल्कः** शून्य

(4) **सामान्य अनुदेशः**

(क) उत्तर पश्चिम रेलवे के ऐसे नियमित कार्यरत रेल कर्मचारी जो ग्रेड पे में कार्यरत हो

I) जीडीसीई के उपलब्ध ग्रेड पे से निचली ग्रेड में कार्यरत हो,

II) **समान वेतनमान /ग्रेड कार्यरत कर्मचारी जिसके लिए जीडीसीई आयोजित की जा रही है को नॉन सेफ्टी से सेफ्टी कोटि, सेफ्टी से सेफ्टी कोटि के पद पर आवदेन करने की अनुमति दी जाती है।**

(ख) ऐसे अभ्यर्थी जो दिनांक 12.10.2017 को न्यूनतम योग्यता की अन्तिम परीक्षा में शामिल हो रहे हों और या अन्तिम परीक्षा के परिणाम की प्रतिक्षा कर रहे हों, वे पात्र नहीं है। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान/बोर्ड से होनी चाहिए, अन्यथा चयन के स्तर पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन करने के लिए पात्र है।

(ग) पात्र कर्मचारी आवदेन ऑनलाईन से ही करें। **रेलवे भर्ती कक्ष, जयपुर के कार्यालय में व्यक्तिशः/हॉर्ड कॉपी में भेजे गए आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

(घ) चयनित अभ्यर्थियों को उत्तर पश्चिम रेलवे में कही भी नियुक्त किया जा सकता है।

(ड) चयन के मामले में रेलवे भर्ती कक्ष, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

(च) अधिसूचना को वेबसाईट <u>www.rrcjaipur.in</u> तथा <u>www.nwr.indianrailways.gov.in</u> से डाउनलोड किया जा सकता है।

(छ) अधिसूचना में दर्शायी गई रिक्तियों की संख्या अनन्तिम है और इन्हें नियुक्ति के समय प्रशासन की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार घटाया या बढाया जा सकेगा।

(ज) रेलवे प्रशासन के पास परीक्षा प्रणाली के बदलने या सीबीटी/लिखित परीक्षा को पुनः आयोजित करवाने या किसी भी स्तर पर किसी भी भर्ती प्रक्रिया के किसी भाग या पूरी प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।

(5) **चिकित्सा परीक्षाः**

जीडीसीई के पैनल के अभ्यर्थियों को रेल प्रशासन द्वारा अयोजित अपेक्षित चिकित्सा स्वास्थ्य जांचों को पास करना होगा जिनमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अभ्यर्थी अपने चयनित पद से सम्बन्धित चिकित्सा वर्गीकरण के अनुसार ड्यूटियों को पूरा करने के लिए चिकित्सीय दृष्टि से स्वस्थ्य है।

(6) **भर्ती प्रकियाः** भर्ती की प्रकिया में कम्प्यूटर आधारित अथवा लिखित परीक्षा होगी। तत्पश्चात् अभिक्षमता परीक्षा/स्पीड/कौशल परीक्षा(जहॉ कहीं लागू हो), दस्तोजव सत्यापन एवं चिकित्सा जांच होगी।

(क) परीक्षा का स्तर रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित सीधी भर्ती के अनुरूप होगा।

(ख) कम्प्यूटर आधारित/लिखित परीक्षा, जिन कोटियों में जहॉ कहीं लागू हो, एक/दो स्तर में आयोजित की जाएगी।

(ग) चयन कम्प्यूटर आधारित/लिखित परीक्षा में मैरिट के अनुसार किया जाएगा। चूने हुए के अभ्यर्थियों को उनके मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।

(घ) कम्प्यूटर आधारित/लिखित परीक्षाओं में बहु विकल्प प्रकार के प्रश्न होंगें इसमें नकारात्मक अंक दिए जाएंगें और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न के आवंटित अकों का 1/3 अंक काटा जाएगा।

(ड़) जीडीसीई के अन्तर्गत कर्मचारियों को मनोवैज्ञानिक/गति/टाईप परीक्षा, जिन कोटियों में जहां लागू हो, पास करना होगा।

(च) जीडीसीई के अन्तर्गत कर्मचारियों का जिन पदो के लिए चयन हुआ है उन पदो पर नियुक्ति दिये जाने से पूर्व, जहां कही लागू हो , निर्धारित प्रशिक्षण कोर्स पास करना होगा।

(छ) कम्प्यूटर आधारित /लिखित परीक्षा तथा कौशल परीक्षणों की दिनांक, समय तथा स्थान आरआरसी, जयपुर द्वारा निश्चित किया जाएगा और इस सम्बन्ध में पात्र अभ्यर्थियों को यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। कम्प्यूटर आधारित /लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षण के स्थगन तथा केन्द्र/स्थान परिवर्तन के अनुरोध को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(7) **आवेदन कैसे करें:**

I. रेलवे भर्ती कक्ष, जयपुर की वेबसाईट <u>www.rrcjaipur.in</u> पर दिये गये लिंक पर दिये गये वांछित विवरण भरते हुए ऑनलाईन पंजीकृत किया जाना चाहिए इस अधिसूचना के पैरा 9 मे दिये गये चरणों को पूरा करते हुए अभ्यर्थियों को सभी वांछित विवरण ऑनलाईन आवेदन फार्म में भरना चाहिए। अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं किये जाऐंगें।

II. यदि अभ्यर्थी सम्बन्धित कोटियों के लिए वांछित अर्हता रखते है तो वे ऑनलाईन आवेदन फार्म में दिये गये विकल्पों को भरकर अभ्यर्थी एक से अधिक पदों की कोटि के लिए आवेदन कर सकते है तथपि यह सम्भव है कि अभ्यर्थी सभी कोटियों के लिए परीक्षा में सम्मिलित न हो सकें यदि विभिन्न कोटियों के लिए परीक्षा एक ही दिन आयोजित हो अथवा एक के बाद एक अगले दिन में आयोजित हो अथवा विभिन्न कोटियों पर आयोजित हो। ऐसी परिस्थिति में रेलवे भर्ती कक्ष, को जिम्मेदार नहीं ठहराया जायेगा। परीक्षा के आयोजन (सम्मिलित कोटियों के लिए एक परीक्षा को आयोजन होगा) से सम्मिलित की गई कोटियों पदों की कोटियों निम्नानुसार है:-

कोटि सं.	पदनाम	परीक्षा के प्रयोजन से सम्मिलित की गई कोटियां
1	Clerk Cum Typist	I
4	Ticket Examiner	
5	Commercial Clerk	
2	Asstt. Loco Pilot	II
3	Tech. Gr.-III (Signal)	
6	Stenographer (Hindi)	III
7	Pharmacist, Gr.III (Medical)	IV
8	Goods Guard	V
9	Station Master	
10	Junior Engineer (Signal)	VI
11	Junior Engineer (P. Way)	VII
12	Staff Nurse	VIII

III. ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी प्रत्येक कोटियों (पदनाम) के जिन पदों के लिए आवेदन कर रहे हो उनके प्रत्येक पदो के लिए अपनी वरियता कम इंगित करें।

IV. ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी मंडल/यूनिट पर नियुक्ति हेतु में विकल्प की वरियता कम इंगित करें।

यूनिट/मंडल
अजमेर
बीकानेर
जयपुर
जोधपुर

V. पदों के लिए आंशिक रूप से वरीयता देने वाले अभ्यर्थियों को केवल उन्हीं पदों हेतु विचार किया जाएगा जिनकी उन्होंने वरीयता दी है। पद विशेष हेतु वरियता न देने का अर्थ उक्त पद हेतु अभ्यर्थी की अनिच्छा मानी जायेगी।

VI. यदि अभ्यर्थी एक से अधिक कोटियों में उत्तीर्ण होता हैं तो पद का आवंटन उसकी मेरिट व कोटि के विकल्प के आधार पर किया जाएगा।

VII. अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र में अपना व्यक्तिगत ईमेल तथा मोबाईल नम्बर भरना होगा तथा भरे गए ईमेल एवं मोबाईल नम्बर को भर्ती प्रकिया समाप्त होने तक चालू अवस्था में रखना होगा।

VIII. उम्मीदवारों को उनको अपने स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे वेबसाईट पर लॉग इन करने में असमर्थता/असफलता जैसी बाधाओं से बचने के लिए अन्तिम तिथि एवं समय से पहले अपने ऑनलाईन आवेदन पंजीकृत करें। अन्तिम दिनों के दौरान इंटरनेट या वेबसाईट पर भारी लोड के कारण जाम हो सकती है।

8. ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि /समय 12.10.2017 को 17.00 है। आरआरसी/जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी यदि उम्मीदवार आवेदनों को अन्तिम तिथि/समय के भितर किसी भी कारण से रजिस्टर करने में सक्षम नहीं होता है।

9 **ऑनलाईन आवेदन करने के दौरान निम्नांकित चरणपूर्ण किए जाए:-**

(क) "**जीडीसीई ऑनलाईन/ई एप्लीकेशन**" लिंक पर क्लिक करें।
(ख) उम्मीदवार "**नए पंजीकरण**" पर क्लिक करें।
(ग) सामान्य विवरण जैस नाम, समुदाय, जन्म तिथि, कर्मचारी आईडी, मोबाईल नम्बर, ईमले आईडी भरें।
(घ) उम्मीदवार को अब पंजीकरण संख्या मिल जाएगी और उसी का एक संन्देश भी पंजीकृत मोबाई न. और ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा।

* **पुनः लॉगिंग करने एवं भविष्य में किसी भी सन्दर्भ के लिए अभ्यर्थी को पंजीकृत नम्बर सेव रखना चाहिए।**

(ड) उम्मीदवार डैशबोर्ड में " आवेदन पत्र", दिखाई देते हैं जिसमें व्यक्तिगत विवरण भरें।

(च) व्यक्तिगत विवरण भर कर इसे सेव एव कन्टीन्यू करें।
(छ) कर्मचारी विवरण भर कर इसे सेव एवं कन्टीन्यू करें।
(ज) शैक्षणिक योग्यता का विवरण भर कर इसे सेव एवं कन्टीन्यू करें।
(झ) आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर इसे सेव एवं कन्टीन्यू करें।
(ण) विभिन्न कोटियों की वरीयता भर कर इसे सेव एवं कन्टीन्यू करें।
(ट) नियुक्ति के विकल्प के लिए वरियता भरे। विकल्प स्थान में कार्यशाला / मंडल / भण्डार / प्रधान कार्यालय शामिल है।
(ढ) सेव एवं कन्टीन्यू कर आवेदन प्रिव्यू और समीशन करें। एक बार सबमिट करने के बाद डाटा में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।
(ड) भविष्य के लिए आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट लेना चाहिए।

नोटः– 1. रेलवे भर्ती कक्ष, जयपुर को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी डाक द्वारा नहीं भेजी जानी है।
2. ऑनलाईन आवेदन भरने की कमवार पद्वति उपरे दिये गए पैरा 9 में दी गयी है। तथापि किसी कठिनाई अथवा तकनीकी समस्या हेतु वेबसाईट पर दी गई हेल्पलाईन पर सम्पर्क किया जा सकता है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ऑनलाईन आवेदन करने की पद्वति समझ नहीं पाने के कारण यदि कोई अभ्यार्थी आवेदन नहीं कर पाता हैं तो इसके लिए रेलवे भर्ती कक्ष जिम्मेदार नहीं होगा।
हेल्पलाइन सम्पर्कः– यदि किसी उम्मीदवार को अपने ऑनलाईन आवेदन करने में कोई कठिनाई होती है तो वे सभी कार्य दिवस (सोमवार से शनिवार) में हेल्पलाईन नम्बर **9782747045** पर 9.00 से 18.00 बजे तक सम्पर्क करने के लिए स्वतंत्र है, जहां से वे सभी को आवेदन पत्र भरने में सहायकता प्राप्त कर सकते है।

10) केवल योग्य कर्मचारी को इस अधिसूचना के विरूद्व केवल एक आवेदन जमा करना होगा और एक से अधिक आवेदन जमा करने वाले कर्मचारियों को चयन प्रकिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यहां तक कि अगर, इस तरह के एक उम्मीदवार अनजाने में चुना जाता है, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उन्हे जीडीसीई के लिए इस अधिसूचना के तहत कोई भी नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं किया जाएगा।

(11) दस्तावेज अपलोड किया जाना हैः– आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज (फोटो– साईज 15 से 40 केबी, हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ के अंगुठा निशान साईज 10 से 20 केबी और कर्मचारी प्रमाण पत्र (संलग्नक– I) साईज 30 से 50 केबी) जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करें

(क) <u>फोटोः</u>– रंगीन फोटो जो तीन महीन से अधिक पुराना न हो, कैप और धुप का चश्मे के बिना, सामने से लिया हुआ फोटो अपलोड करना चाहिएं। आरआरसी किसी भी स्तर पर पुराने / अस्पष्ट फोटो अपनोड करने या अपलोड किए गए फोटो और उम्मीदवार के वास्तविक भौतिक स्वरूप के बीच किसी भी महत्पूर्ण बदलाव होने पर आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उसी तस्वीर की अतिरिक्त प्रतियों को योग्तया / कौशल / स्पीड / दस्तावेज सत्यापन आदि के लिए साथ रखें। बिना फोटो के आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।

(ख) <u>हस्ताक्षरः</u>–रनिंग हस्ताक्षर अपलोड किया जाना चाहिए। बिना हस्ताक्षर किए गए आवेदन, एप्लिकेशन बिना हस्ताक्षर या कैपिटल अक्षरों में किए गए हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जाएगें।

(ग) <u>बाएं हाथ के अंगुठे का निशानः</u>– साफ अगुंठे का छाप अपलोड किया जाना चाहिए। बिना स्पष्ट और मैला किया हुआ अंगुठे निशान वाले आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये जाएगें।

(घ) <u>कर्मचारी प्रमाण पत्र (संलग्नक–1):–</u> संलग्नक–1 में दिए गए प्रारूप ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। संलग्नक–1 को आवेदक द्वारा अपने हस्ताक्षर और अंगुठे की निशान के साथ भरना चाहिए और आवेदकों द्वारा अपने अधीनस्थ पर्यवेक्षक से विधिवत हस्ताक्षर कर सील लगी होनी चाहिए और मोबाईल नम्बर लिखा होना चाहिए।

(12) **दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा जाचं परीक्षा** सीबीटी / लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर उम्मीदवारों को (कौशल / स्पीड / अभिक्षमता परीक्षा जहां कही लागू हो) दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय में अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, जाति, जन्मतिथि, कर्मचारी प्रमाण पत्र (संलग्नक–1), कार्यमुक्त पत्र आदि के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(13) अवैध आवेदन पत्रः'– निम्नलिखित कमियों (एक या एक से अधिक) के साथ प्राप्त आवेदन को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

1. व्यक्तिशः / डाक से भेजे गए आवेदन पत्र और ऑनलाईन पंजीकृत न हो।
2. आवेदन जो किसी भी तरीके से अधूरे है।
3. आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत (सबमिट) करते समय निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हो।

4. अधिक आयु या जन्म तिथि नही भरी गई हों या गलत भरी गई हो।
5. यदि एक ही उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र पंजीकृत करना, तो ऐसे सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जायेंगे।
6. फोटों अपलोड नहीं किया हो, ब्लैक एण्ड व्हाईट फोटो, टोपी या धुप के चश्मा, मैल किया हुआ, छोटे आकार, पूर्ण शरीर के साथ फोटो, एक तरफ के चेहर वाले या पहचान योग्य नहीं होना।
7. हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया हो, या बडें अक्षरों में किए गए हस्ताक्षर अपलोड किये हो।
8. बांए हाथ के अंगुठे नहीं अपलोड नहीं किया हो, धुंधला/मैल अपलोड किया हो।
9. किसी भी अन्य अनियमितता को आरआरसी द्वारा अवैध माना जाना।
10. कर्मचारी प्रमाण पत्र (संलग्नक–1) अपलोड नहीं किया हो या अधुरा प्रमाण पत्र अपलोड किया हो या पर्यवेक्षक/अधिकारी द्वारा बिना प्रमाणित अपलोड किया हो।
11. ऑनलाईन आवेदन पत्र में दी गई सूचना के गलत ए जाने की स्थिति में और दस्तावेज सत्यापन करते समय इनके मूल दस्तावेजों से मिलान नहीं होने/गलत पाए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जाएगा।
12. ऐसे उम्मीदवार जो अजा/अजजा आरक्षण का लाभ लेना चाहते हो, वे दस्तावेज सत्यापन के समय पर संलग्नक–2 के नमूने के अनुसार उचित प्राधिकारी द्वारा जारी अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। इसी प्रकार, ऐसे उम्मीदवार जो अन्य पिछडा वर्ग का लाभ लेना चाहते हो, वे संलग्नक–3 के नमूने के अनुसार उचित प्राधिकारी द्वारा केन्द्र सरकार के प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन शुरू होने से पिछले एक वर्ष में जारी जाति प्रमाण पत्र व नॉन क्रीमिलेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

नोटः– सूची केवल उदाहरण है और पूर्ण नहीं है। आवेदन किसी भी स्तर पर रेलवे भर्ती कक्ष द्वारा दृष्टिगत किसी भी अन्य अनियमितता/कमी में निरस्त कर दिया जाएगा।

(14) कदाचार

(क) कर्मचारी को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन प्रस्तुत करते समय कोई भी झुठी जानकारी नहीं दे या कोई भी वास्तविक जानकारी को छिपाए नहीं।

(ख) कर्मचारी चयन प्रकिया के सम्बन्ध में अपने लाभ के लिए किसी भी राजनीतिक या अन्य प्रभाव को लगाने का प्रयत्न नहीं करें।

(ग) भर्ती प्रकिया के किसी भी हिस्से में कर्मचारी के किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार पर कडा निषेध है और इस तरह के कदाचार से उम्मीदवार को अयोग्य ठहाराया जा सकेगा और उपयुक्त अनुशासनात्मक/अपराधिक कार्यवाही की जाएगी।

(घ) किसी भी अनाचार /कदाचार के करने के परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही करने के अतिरिक्त चयन के किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जाएगा।

(15) <u>महत्वपूर्ण अनुदेशः</u>

(क) आवेदन करने से पूर्व, अभ्यर्थी निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढकर यह सुनिश्चित कर ले िकवह अधिसूचना के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने के समय नियत पात्रता व मापदण्ड पूरा करता है।

(ख) रेलवे भर्ती कक्ष, द्वारा किए गए निर्णायानुसार उसके पास अलग अलग तिथियों व स्थानों पर बैचों में परीक्षा आयोजित करवाने का अधिकार सुरक्षित है।

(ग) रेलवे भर्ती कक्ष, जयपुर की वेबसाइट पर पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र यथा समय रेलवे भर्ती कक्ष की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि अभ्यर्थी इस चयन से सभी स्तरों की विभिन्न सूचनाओं की लिए रेलवे भर्ती कक्ष की वेबसाइट के सम्पर्क में रहें।
नोटः– यदि अभ्यर्थी का आवेदन पत्र किसी कारण से रेलवे भर्ती कक्ष द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, तो अभ्यर्थी रेलवे भर्ती कक्ष, जयपुर की वेबसाइट पर ऑनलाईन से अपना स्तर व कारण देख सकते है। अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबइल एवं ईमेल पर एसएमएस/मेल द्वारा अलर्ट भेजा जाएगा जोकि कि उसके द्वारा आवेदन आवेदन पत्र में पंजीकृत किया गया है। रेलवे भर्ती कक्ष आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निरस्त के सम्बन्ध में डाक से कोई भी सूचना नहीं भेजेगा। रेलवे भर्ती कक्ष, जयपुर, कोई सूचना प्राप्त नहीं होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(घ) जीडीसीई की योजना रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार कार्यान्वित की जाएगी और सभी बाध्यकर होंगें।

(ड़) उम्मीदवारों की उम्मीदवारी चयन के सभी स्तरों पर अनन्तिम हैं बशर्ते कि वे पात्रता की सभी शर्ते पूरी करें और यदि रेलवे बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी किए गए नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत कोई उम्मीदवार पात्र नहीं पाया जाता हैं, तो रेलवे भर्ती कक्ष के पास उसकी उम्मीदवारी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(च) ऐसे अभ्यर्थी जो अजा/अजजा/अपिव के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करना चाहते हों और /या आयु में छूट चाहते हों वे आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा आरक्षित स्तर के लिए उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस प्रकार के अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की उम्मीदवारी को सामान्य वर्ग (UR) के लिए सभी पात्र शर्तो को पूरा करने के लिए सामान्य वर्ग में ही समझा जाएगा।

(छ) अभ्यर्थियों द्वारा गलत घोषणा/विवरण दिये जाने की स्थिति में, अनुशासनात्मक नियमों के अधीन उम्मीदवारी निरस्त करने के साथ कार्रवाई की जाने के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा/होगी।

(ज) किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा परीक्षा में अनुचित तरीको का उपयोग करते हुए पाए जाने की स्थिति में या परीक्षा में अपने स्थान पर किसी अन्य को शामिल होने के लिए भेजने की स्थिति में, उसे पूरे सेवाकाल के लिए सभी रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती कक्ष की सभी परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित कर दिया जाएगा। रेलवे अनुशासन व अपील नियमों के अधीन ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्व अपराधिक नियमों के अधीन अभियोजन भी चलाया जा सकता है।

(झ) यदि आवेदन में किसी भी प्रकार की अनियमितता /कमी दृष्टिगत होती है, तो रेलवे भर्ती कक्ष, भर्ती की प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर, किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी को निरस्त करने का अधिकार रखती है।

(ण) पात्रता, आवेदन के स्वीकार करने या निरस्त करने, फ्री रेल पास जारी करना झूठी सूचना के लिए शास्ति, चयन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आवंटन, चयन इत्यादि से सम्बन्धित सभी मामलों में अभ्यर्थियों के लिए रेलवे भर्ती कक्ष का निर्णय अन्तिम व बाध्यकर होगा और इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की पूछताछ या पत्राचार को रेलवे भर्ती कक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ट) रेलवे भर्ती कक्ष किसी भी प्रकार की असावधानी वश हुई त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(ढ) किसी भी प्रकार के विधिक विवाद के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर ही इसका अधिकार क्षेत्र होगा।

(ड) किसी भी व्याख्या या किसी चूक से सम्बन्धित किसी विवाद के होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को अन्तिम माना जाएगा।

(ड़) प्रयुक्त संक्षेपण :–
सीबीटी– कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, अजाः–अनुसूचित जाति, अजजा–अनुसूचित जन जाति, अपिव–अन्य पिछडा वर्ग, यूआर–अनारक्षित, आरआरसी–रेलवे भर्ती कक्ष, डीओए–नियुक्ति की तिथि

नोटः अभ्यर्थी आवेदन पत्र तथा अन्य विवरणें को डाउनलोड करने के लिए रेलवे भर्ती कक्ष, जयपुर की बेवसाइट www.rrcjaipur.in को लॉगऑन करें। अभ्यर्थियों द्वारा भविष्य में सभी जानकारी अद्यतन स्थिति के लिए इस साईट को सन्दर्भ किया जाए।

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती कक्ष
उत्तर पश्चिम रेलवे,
जयपुर।

संलग्नक.–1

उत्तर पश्चिम रेलवे पर सामान्य विभागिय प्रतियोगिता परीक्षा अधिसूचना सं 03/2017 के लिए (आरपीएफ/आरपीएसएफ के कमचारियों को छोंडकर) आवेदन हेतु नियमित सेवारत कर्मचारी प्रमाण पत्र।

मै ....पुत्र / पुत्री/ पत्नी श्री .... जन्मतिथि(दिन/माह/वर्ष) ..../............/............ समुदाय .... पदनाम ....ग्रेड पे (बिना एमएसीपी के)......................................., ...अधीन कार्यरत हूँ।

में एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरी जानकारी मे सत्य, पूर्ण और सही है। किसी भी जानकारी के असत्य या गलत अथवा योग्यता के मापदण्डों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाने की स्थिति में, मेरी उम्मीदवारों को, किसी स्तर पर, बिना की किसी सूचना के निरस्त/बर्खास्त किया जा सकता है और अनुशासन व अपील नियम के अन्तर्गत की गई कार्रवाई के लिए भी मै उत्तरदायी होउगा।

बायें हाथ के अंगुठे का निशान

प्रमाणित फोटो

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नामः– ....

पदनामः– ....

कर्मचारी आईडी सं. ....
(जैसा वेतन सीट में)

नियुक्ति स्थल :– ....

दिनांक ....

मंडल/यूनिटः– ....

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कर्मचारी नियमित कर्मचारी है और उत्तर पश्चिम रेलवे पर मेरे अधीन कार्यरत है। उक्त में भरे गए सभी विवरण सही हैं और अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित किया जाता है।

दिनांक ....

कार्यालय सील

आसन्न पर्यवेक्षक/अधिकारी के हस्ताक्षर

अधिकारी/पर्यवेक्षक का नाम ....

पदनाम

एवं सील...

मोबाईल नम्बर ....

दिनांक ....

उ.प.रे.

उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी से उचित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र हासिल कर सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । ऐसा नही कर पाने पर उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है । इसका (भारत सरकार के कार्मिक, जनशिकायतें, पेंशन और कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित) विवरणिका के अध्याय 13 के अनुरूप होना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि बड़ी संख्या में उम्मीदवार निर्धारित निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हुए ऐसे अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश करते हैं जिन्हें सक्षम प्राधिकारी नहीं माना गया है ।

संलग्नक–2

अजा/अजजा उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप :–

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप :–

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री (पिता का नाम) .... जो गांव/शहर .... जिला/मंडल .... राज्य/संघ क्षेत्र के रहने वाले हैं, ... जाति/जनजाति से संबंधित हैं, जो निम्नानुसार अनुसूचित जाति/जन जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

(1) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश –1950
(2) संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश –1950
(3) संविधान (अनुसूचित जाति)(संघ क्षेत्र) आदेश –1951
(4) संविधान (अनुसूचित जन जाति)(संघ क्षेत्र) आदेश –1951, अनुसूचति जाति एवं अनुसूचित जन जाति सूची परिशोधन आदेश –1956, मुम्बई पुर्नगठन अधिनियम– 1960, पंजाब पुर्नगठन अधिनियम–1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम–1970, तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुर्नगठन) अधिनियम–1971, एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित ।
(5) संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश , 1956,
(6) संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश , 1956 ।
(7) संविधान (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश –1959, अनुसूचित जाति एवं जन जाति आदेश , 1976 द्वारा यथा संशोधित ।
(8) संविधान (दादर एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश –1962
(9) संविधान (दादर एवं नगरहवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश –1962
(10) संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश –1964
(11) संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश –1967
(12) संविधान (गोवा,दमण एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश –1968
(13) संविधान (गोवा,दमण एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश –1968
(14) संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जाति आदेश –1970
(15) संविधान (सिक्कम) अनुसूचित जाति आदेश –1978
(16) संविधान (सिक्कम) अनुसूचित जन जाति आदेश –1978
(17) संविधान (जम्मू एवं क मीर) अनुसूचित जन जाति आदेश –1989
(18) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम–1990
(19) संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश–1991
(20) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अध्यादेश–1991
(21) संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश–1996

2 उन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों से संबंधित व्यक्तियों के मामले में आवेदन–पत्र जो एक राज्य /संघ भासित प्रदेशों से अन्यत्र विस्थापित हुए हैं – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति से संबंधित यह प्रमाण–पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी .... पिता/माता का नाम .... निवासी जिला/मंडल .... राज्य/संघ क्षेत्र के रहने वाले हैं .... और जो जाति/जनजाति से संबंधित हैं, जिसे .... राज्य/संघ क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है । जारीकर्ता ....(निर्धारित प्राधिकारी का नाम) द्वारा पत्र सं. .... दिनांक .... के तहत् जारी किया गया है ।

3 श्री/श्रीमती/कुमारी .... और उसका परिवार साधारणतः .... गांव/शहर .... जिला/मंडल .... राज्य/संघ क्षेत्र .... के निवासी हैं ।

स्थान .... हस्ताक्षर .... दिनांक .... पदनाम(कार्यालय की मुहर सहित)

(*) कृपया जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दें । विशिष्ट राश्ट्रपति आदेशों का उल्लेख करें । जो अनुच्छेद लागू न हो, उसे काट दें ।

टिप्पणी – "साधारणतः निवासी" का अर्थ यहां वही है, जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम–1950 की धारा 20 में उल्लेखित है ।

प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की सूची।

(1) जिलाधिकारी /अतिरिक्त दंडाधिकारी /कलैक्टर/ उप आयुक्त/ अतिरिक्त उप आयुक्त/उपकलैक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी दंडाधिकारी /शहरी दंडाधिकारी/उप मंडल दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/कार्यकारी दंडाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी दंडाधिकारी के पद से कम नही)
(2) मुख्य प्रेसिडेंसी दंडाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी दंडाधिकारी/ प्रेसिडेंसी दंडाधिकारी
(3) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार की श्रेणी से कम का न हो और
(4) उस क्षेत्र का उप मंडल अधिकारी जिसमे उम्मीदवार और उसका परीवार निवास करता है।
(5)प्रशासनिक सचिव या प्रशासक/विकाश अधिकारी (लक्षद्वीप समूह)

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा प्रस्तुत करने के लिए प्रमाण–पत्र का प्रारूप :–

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र .... जिला/मंडल/.......................................ग्राम/शहर .... के निवासी हैं जो ....समुदाय के है जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय के दिनांक .... के संकल्प संख्या .... क अन्तर्गत पिछडे वर्ग के रूप मे मान्यता प्राप्त है। * श्री/श्रीमति/कुमारी .... तथा उनका परिवार समान्यतया .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के ....जिला/मंडल के निवासी है। यह प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.93 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93–स्थापना(एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/ वर्गो (नवोन्नत वर्ग) की श्रेणी से सम्बन्धित नहीं है। **

जिलाधिकारी
उपायुक्त इत्यादि

दिनांक :
मुहर :

*प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के ब्योरों का उल्लेख करना है जिसमें उम्मीदवार की जाति का अन्य पिछडा वर्ग के रूप में उल्लेख किया गया है।

** समय–समय पर यथासंशोधित

टिप्पणी – यह प्रयुक्त शब्द **"सामान्यतया"** का वही अर्थ होगा जो अर्थ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम–1950 की धारा 20 मे है ।

प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की सूची।

(1) जिलाधिकारी /अतिरिक्त दंडाधिकारी /कलैक्टर/ उप आयुक्त/ अतिरिक्त उप आयुक्त/उपकलैक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी दंडाधिकारी /शहरी दंडाधिकारी/उप मंडल दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/कार्यकारी दंडाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी दंडाधिकारी के पद से कम नही)
(2) मुख्य प्रेसिडेंसी दंडाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी दंडाधिकारी/ प्रेसिडेंसी दंडाधिकारी
(3) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार की श्रेणी से कम का न हो और
(4) उस क्षेत्र का उप मंडल अधिकारी जिसमे उम्मीदवार और उसका परीवार निवास करता है।
(5)प्रशासनिक सचिव या प्रशासक/विकाश अधिकारी (लक्षद्वीप समूह)